



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 6, शुक्रवार, शाके 1937-मार्च 27, 2015
Chaitra 6, Friday, Saka 1937-March 27, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2015

संख्या प. 2 (16) विधि/2/2015:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

**राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015
(2015 का अधिनियम संख्यांक 5)**

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में झीलों का विकास और संरक्षण करने, और इन प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण का गठन करने और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह 25 जनवरी, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (i) "प्राधिकरण" से धारा 8 के अधीन गठित राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ii) किसी झील के संबंध में "सीमा" से, धारा 4 के अधीन घोषित झील की सीमा अभिप्रेत है;
- (iii) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (iv) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (v) "समिति" से धारा 9 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (vi) "सन्निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत उसमें या तो ऊर्ध्व या क्षैतिज कोई परिवर्धन या विस्तार सम्मिलित है और इसमें किसी विद्यमान संरचना या भवन का पुनः सन्निर्माण, मरम्मत या नवीकरण और झील या संरक्षित क्षेत्र में खुदाई करना या उसे भरना सम्मिलित है;
- (vii) किसी झील के संबंध में "विकास" में किसी झील का पारिस्थिकीय प्रबंध, संरक्षण, प्रत्यावर्तन और पुनरुद्धार सम्मिलित है;
- (viii) "बहाव क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें होकर जल धाराएं या संभरक धाराएं झील की ओर इसके पुनर्भरण के लिए बहती हैं;
- (ix) "निधि" से धारा 13 के अधीन गठित राजस्थान झील विकास प्राधिकरण निधि अभिप्रेत है;
- (x) "झील" से, भूमि में स्थित ऐसी जलराशि अभिप्रेत है, जो चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, चाहे इसमें जल हो या न हो, और जो चाहे किसी राजस्व या अन्य शासकीय अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित की गयी हो या न की गयी हो, जिसका जलप्लावित क्षेत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान किसी भी समय, सामाजिक-सांस्कृतिक, विरासत या धार्मिक महत्व की

जलराशि के मामले में तीन हैक्टेयर से कम न रहा हो, और अन्य मामलों में दस हैक्टेयर से कम न रहा हो;

- (xi) "स्थानीय प्राधिकारी" से अजमेर विकास प्राधिकरण, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39) के अधीन गठित अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) के अधीन गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन गठित कोई नगर सुधार न्यास, या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित कोई पंचायती राज संस्था या राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी के रूप में घोषित कोई अन्य निकाय या प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (xii) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित है;
- (xiii) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (xiv) "संरक्षित क्षेत्र" से धारा 4 के अधीन घोषित संरक्षित क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (xv) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;
- (xvi) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (xvii) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
- (xviii) "नगर नियोजन प्राधिकारी" से अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39) के अधीन

गठित अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) के अधीन गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन गठित कोई नगर सुधार न्यास, या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित कोई पंचायती राज संस्था या राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी के रूप में घोषित कोई अन्य निकाय या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(xix) "उपाध्यक्ष" से प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय 2

झीलों की सीमाएं और संरक्षित क्षेत्र

3. झीलों राज्य सरकार में निहित होंगी.-(1) किसी भी विधि, लिखत या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ से, राज्य के भीतर की सभी झीलों का संरक्षण और विकास, ऐसी झीलों में स्थित प्राइवेट सम्पत्तियों के सिवाय, राज्य सरकार में निहित होगा और प्राधिकरण द्वारा, विहित रीति से, प्रदान की गयी अनुज्ञा के अनुसार, से अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी झील की सीमाओं के भीतर किसी भी क्रियाकलाप को, चाहे वह कुछ भी हो, हाथ में नहीं लेगा या किसी झील से कोई उपज या जल का उपयोग नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा।

(2) प्राधिकरण उप-धारा (1) के अधीन कोई भी अनुज्ञा तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि झील के संरक्षण और विकास पर ऐसी अनुज्ञा का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए झील का जल

निकाला और उपयोग में लिया जा रहा था, झील के जल को ऐसी सीमा तक, जिस तक कि ऐसे निकाले जाने और उपयोग से झील के संरक्षण और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, निकालने और उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान कर सकेगी।

4. झील की सीमाओं और संरक्षित क्षेत्र की घोषणा.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो अपने पास उपलब्ध सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से या प्राधिकरण की सिफारिश पर,

(i) किसी झील की सीमाओं को, और

(ii) झील के चारों ओर के भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र, घोषित और विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना से व्यथित कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर, विहित रीति से, अपने आक्षेप या सुझाव राज्य सरकार के समक्ष फाईल कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर राज्य सरकार उप-धारा (2) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, या तो उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना को वापस ले सकेगी या उपांतरित कर सकेगी, या आक्षेपों या, यथास्थिति, सुझावों को नामंजूर कर सकेगी, और राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) इस धारा के अधीन जारी अधिसूचना तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य राजस्थान विधि के होते हुए भी अभिभावी होगी।

5. संरक्षित क्षेत्र में क्रियाकलापों का विनियमन.- (1) प्रत्येक नगर नियोजन प्राधिकारी, किसी झील के अन्तर्गत आने वाले किसी क्षेत्र की स्थान-संबंधी या विकास योजना तैयार करने से पूर्व प्राधिकरण से परामर्श करेगा और किसी झील के अन्तर्गत आने वाले किसी क्षेत्र के संबंध में कोई भी स्थान-संबंधी या विकास योजना प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुमोदित या प्रवृत्त नहीं की जायेगी।

(2) संरक्षित क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा, विहित रीति से, प्राप्त किये बिना हाथ में नहीं लिया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो अपने पास उपलब्ध सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से या प्राधिकरण की सिफारिश पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे अन्य क्रियाकलापों को, जिन्हें वह झील के संरक्षण और विकास के लिए समीचीन समझे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो प्रतिषिद्ध होंगे या प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन, विहित रीति से, प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही हाथ में लिये जायेंगे।

(4) प्राधिकरण उप-धारा (2) या (3) के अधीन कोई भी अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अनुज्ञा से झील के संरक्षण और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है।

6. झीलों का संरक्षण और विकास.- (1) वन या पर्यावरण से संबन्धित किसी केन्द्रीय विधि, और केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकीतंत्र संरक्षण योजना (एन.पी.सी.ए.ई.) के लिए इस संबंध में समय-समय पर जारी किन्हीं भी मार्गदर्शक सिद्धांतों सहित नीतियों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्यक्षीन रहते हुए, प्राधिकरण झीलों के संरक्षण और विकास को हाथ में लेगा और इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों को कार्यान्वित करेगा, अर्थात्:-

- (क) झीलों का सर्वेक्षण और अध्ययन करना और झीलों के अभिलेख को, उनकी सीमाओं, बहाव क्षेत्र और ऐसे अन्य विषयों सहित, जो झीलों के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक समझे जायें, विहित रीति से तैयार, संधारित और प्रकाशित करना;
- (ख) झीलों के संरक्षण या विकास के लिए योजनाओं, परियोजनाओं या स्कीमों को तैयार करना और राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (ग) झीलों के संरक्षण और विकास की ऐसी योजनाओं, परियोजनाओं या स्कीमों को क्रियान्वित करना, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें;
- (घ) परियोजनाओं को क्रियान्वित करना और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) निधि को सम्मिलित करते हुए, लोक और प्राइवेट स्रोत से वित्तीय संसाधन जुटाना;

- (ड) झील की सीमाओं और संरक्षित क्षेत्र की सिफारिश राज्य सरकार को करना;
- (च) झील की सीमाओं या संरक्षित क्षेत्र के भीतर अप्राधिकृत क्रियाकलापों को निवारित करना और बन्द करना;
- (छ) संरक्षित क्षेत्र में अप्राधिकृत सन्निर्माण को निवारित करना, बन्द करना और हटाना।

(2) प्राधिकरण, यदि वह झील के संरक्षण या विकास के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक समझता है तो झील के संरक्षित क्षेत्र या बहाव क्षेत्र के भीतर किसी भवन, संरचना या बाधा की किसी अन्य वस्तु को हटा सकेगा:

परन्तु कोई भी भवन, संरचना या बाधा की कोई अन्य वस्तु, जो प्राइवेट संपत्ति है, तब तक नहीं हटायी जायेगी जब तक कि-

- (i) राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो;
- (ii) सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी, यदि कोई हो, को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो;
- (iii) सम्पत्ति के स्वामी को, ऐसे हटाये जाने के कारण उसके द्वारा उठायी जाने वाली हानि के लिए प्रतिकर संदत्त न कर दिया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन प्रतिकर की रकम अवधारित किये जाने के समय प्राधिकरण, इसी प्रकार की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अधिकथित अवधारण के सिद्धान्तों का अनुसरण करेगा।

(4) यदि इस धारा के अधीन प्रतिकर का हकदार कोई व्यक्ति प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता को विवादित करता है तो वह प्राधिकरण के आदेश की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर उस क्षेत्र, जिसमें सम्पत्ति स्थित है, पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील फाईल कर सकेगा और जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा।

7. पर्यटन और सहबद्ध क्रियाकलाप.- प्राधिकरण, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, संरक्षित क्षेत्र के सौंदर्यकरण के लिए ऐसे क्रियाकलाप हाथ में ले सकेगा या उन्हें कार्यान्वित करने के लिए किसी एजेन्सी या

राज्य के किसी विभाग को तब तक अनुज्ञात कर सकेगा जब तक कि प्राधिकरण का यह समाधान रहता है कि ऐसे क्रियाकलाप का, संरक्षित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 3

प्राधिकरण की स्थापना और गठन इत्यादि

8. प्राधिकरण का गठन.- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए राजस्थान झील विकास प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण गठित करेगी।

(2) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति को अर्जित, धारित और व्ययन करने की, और संविदा करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सात से अन्यून और इक्कीस से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जैसाकि राज्य सरकार अवधारित करे।

(4) प्राधिकरण के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे और पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह पदग्रहण करता है, तीन वर्ष की कालावधि के लिए या राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा:

परन्तु प्राधिकरण के सदस्यों को नामनिर्देशित करते समय राज्य सरकार निम्नलिखित को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देगी, अर्थात्:-

- (i) राज्य सरकार के वित्त, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, राजस्व और नगरीय विकास और आवासन विभाग;
- (ii) पर्यावरण, वन, मत्स्य, पर्यटन, जल संसाधन और कला एवं संस्कृति के लिये उत्तरदायी राज्य सरकार के विभाग;
- (iii) पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भू-विज्ञान, जल विज्ञान, जलीय भू-विज्ञान, सरोवर-विज्ञान या झील संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के पारिश्रमिक और भत्तों सहित, सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

(6) अन्य सदस्यों के मामले में, पदेन सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य अध्यक्ष को, और अध्यक्ष के मामले में राज्य सरकार को, तीस दिवस पूर्व लिखित नोटिस प्रस्तुत करके अपना पद त्याग कर सकेगा।

(7) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचित करे।

(8) प्राधिकरण की बैठक छह मास में कम से कम एक बार होगी; तथापि, अध्यक्ष को किसी भी समय प्राधिकरण की बैठक बुलाने की शक्ति होगी।

(9) प्राधिकरण, इसकी बैठकों में कार्य संचालन के दौरान प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

(10) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति की दशा में अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित किये गये सदस्य द्वारा प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

(11) राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण योजना (एन.पी.सी.ए.ई.) के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण नोडल प्राधिकारी होगा।

9. समितियां गठित करने की शक्ति.- प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए अपने सदस्यों में से या अन्यथा, ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी समितियों को इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां, सशर्त या बिना किसी शर्त के, प्रत्यायोजित करेगा, जो वह ठीक समझे:

परन्तु समिति के विनिश्चय को कार्यान्वित करने से पूर्व प्राधिकरण का अनुमोदन आवश्यक होगा।

10. प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द.- (1) राज्य सरकार द्वारा शासन सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

(2) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण में इतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों का सृजन कर सकेगा जितने वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

(3) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा अवधारित की जायें।

(4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विशेषज्ञों और तकनीकी व्यक्तियों को भी संविदा आधार पर रख सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

(5) प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारी और कर्मचारी अध्यक्ष के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रदत्त किये जायें या सौंपे जायें।

11. रिक्तियों इत्यादि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना.- प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी-

- (क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति, या उसके गठन में कोई दोष; या
- (ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या
- (ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता जो मामले के गुणा-गुण को प्रभावित नहीं करती हो।

12. आदेशों इत्यादि का अधिप्रमाणन.- प्राधिकरण की समस्त कार्यवाहियां अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी और प्राधिकरण के अन्य आदेश और लिखतें, विनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

अध्याय 4

वित्त, बजट और लेखे

13. प्राधिकरण की निधि.- (1) राज्य सरकार एक निधि गठित करेगी जिसका नाम राजस्थान झील विकास प्राधिकरण निधि होगा

जिसमें निम्नलिखित सहित प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त धन जमा किया जायेगा-

- (क) अभिदाय की ऐसी रकम, जो राज्य सरकार द्वारा वार्षिक या प्रत्येक वर्ष में ऐसी किस्तों में, जो वह राज्य की योजना में सम्मिलित स्कीमों के अनुसार अवधारित करे और इस निमित्त सम्यक् रूप से किये गये विनियोग के अधीन दी जाये;
- (ख) ऐसा अन्य धन, जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी द्वारा अनुदानों, उधारों, अग्रिमों द्वारा या अन्यथा, प्राधिकरण को संदत्त किया जाये;
- (ग) वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले उधारों को सम्मिलित करते हुए, प्राधिकरण द्वारा उधार लिया गया धन;
- (घ) प्राधिकरण द्वारा किरायों और लाभों के रूप में या किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन; और
- (ङ) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त दान।

(2) प्राधिकरण अपनी निधि में से ऐसी धनराशि जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाये, किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित अन्य बैंक में बचत या जमा खाते में रख सकेगा, और उक्त राशि से अधिक कोई धनराशि ऐसी रीति से विनिहित की जायेगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

(3) ऐसे खातों का संचालन प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

14. निधि इत्यादि का उपयोजन.- प्राधिकरण में निहित समस्त सम्पत्तियां, निधि और अन्य आस्तियां उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और इसके उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, धारित और उपयोजित की जायेंगी, अन्यथा नहीं।

15. प्राधिकरण की उधार लेने की शक्ति.- प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के

पूर्व अनुमोदन से, ब्याज की ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार धन उधार लेते समय अवधारित करे, धन उधार ले सकेगा।

16. लेखे और संपरीक्षा.- (1) प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, लेखे रखेगा।

(2) प्राधिकरण के लेखे, राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा संपरीक्षा किये जाने के अध्यक्षीन रहेंगे।

(3) प्राधिकरण, निधि में से संपरीक्षा के लिए ऐसे प्रभारों का संदाय करेगा जो विहित किये जायें।

17. बजट.- (1) प्राधिकरण प्रतिवर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, आगामी वित्तीय वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियां दर्शित करते हुए, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण अपने व्ययों को सर्वथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्राक्कलनों के भीतर रखेगा।

18. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, पूर्व वर्ष के दौरान किये गये अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और चालू वर्ष के 30 सितम्बर से पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार लेखाओं के विवरण सहित ऐसी वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

19. प्राधिकरण की करार करने की शक्ति.- प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन किसी योजना, परियोजना या स्कीम को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह राज्य सरकार के अनुमोदन से अवधारित करे, किसी व्यक्ति या संस्था के साथ करार कर सकेगा।

20. प्राधिकरण की निदेश देने की शक्तियां.- तत्समय प्रवृत्त किसी राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण राज्य सरकार के किसी भी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे निदेश दे सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे निदेश ऐसे विभाग, प्राधिकारी या यथास्थिति, अधिकारी पर आबद्धकर होंगे।

21. अतिक्रमण हटाने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण ऐसे किसी भी व्यक्ति से जिसने किसी झील की सीमाओं के भीतर या संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है, अतिक्रमण हटाने के लिए लिखित नोटिस द्वारा, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर, जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा, अतिक्रमण को हटाने और उस क्षेत्र को उसकी मूल स्थिति में लाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति जिस पर उप-धारा (1) के अधीन नोटिस तामील किया गया है, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर अतिक्रमण को नहीं हटाता है या अतिक्रमण को हटाता तो है किन्तु उस क्षेत्र को, प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में, उसकी मूल स्थिति में वापस नहीं लाता तो प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति के खर्चे पर उस अतिक्रमण को हटा सकेगा और उस क्षेत्र को उसकी मूल स्थिति में ला सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा उपगत खर्चा, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रमाणपत्र पर, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

22. प्रवेश की शक्ति.- प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भूमि, भवन या अन्य परिसर में या उस पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, ऐसे सहायकों या कर्मचारों के साथ जो वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों में से किसी कृत्य को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा:

परन्तु किसी भी ऐसी भूमि, भवन या अन्य परिसर में जो उस समय अधिभोगाधीन हो, उसके अधिभोगी की सहमति के सिवाय तब तक

प्रवेश नहीं किया जायेगा जब तक इसका चौबीस घण्टे का लिखित नोटिस उक्त अधिभोगी को न दे दिया जाये:

परन्तु यह और कि मानव आवास के रूप में उपयोग में लिये जाने वाले किसी भवन के या अन्य परिसर के मामले में अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

23. सूचना मांगने की प्राधिकरण की शक्ति.- प्राधिकरण को राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई भी सूचना मांगने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के पालन में उसके द्वारा अपेक्षित हो, और ऐसा विभाग, प्राधिकरण या व्यक्ति ऐसी सूचना देने के लिए आबद्ध होगा।

24. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.- (1) प्राधिकरण, अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा झीलों के संरक्षण और विकास के बारे में बनायी गयी किसी नीति और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन रहते हुए, करेगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा जो उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जारी किये जायें।

(3) यदि, प्राधिकरण के इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के पालन के संबंध में, प्राधिकरण और राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी के बीच कोई विवाद उद्भूत हो तो मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

25. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा या तदधीन उसे प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन, अपनी विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, अपनी शक्तियों और कृत्यों में से किसी का प्रत्यायोजन राज्य सरकार के किसी अधिकारी, किसी स्थानीय प्राधिकारी या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे:

परन्तु राज्य सरकार के किसी अधिकारी, या स्थानीय प्राधिकारी को इस उप-धारा के अधीन शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन, राज्य सरकार या, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी की सहमति से किया जायेगा।

26. संक्रमणकालीन उपबंध.- (1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के गठित किये जाने तक, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियमों या विनियमों के बनाये जाने तक, राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा नियमों या विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने के लिए अपेक्षित विषयों के लिए आदेश और मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करके उपबंध कर सकेगी।

27. अपराध.- जो कोई इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

28. कंपनियों द्वारा अपराध.- (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाना अभिकथित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी, और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया जाता है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए.-

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसमें फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

29. प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक समझा जाना.- प्राधिकरण के सदस्य और प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

30. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, प्राधिकरण या प्राधिकरण के निदेशों के अधीन कार्य करने वाले उसके किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही पोषणीय नहीं होगी।

31. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्तर्गत की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधानमण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

32. विनियम बनाने की शक्ति.- (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, प्राधिकरण समय-समय पर, विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किये जाने वाले ऐसे समस्त मामलों या इनमें से किसी मामले के लिए और साधारणतया अन्य समस्त मामलों के लिए विनियम बना सकेगा जिनके लिए प्राधिकरण की राय में, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन इसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपबंध आवश्यक है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह राजपत्र में प्रकाशित न हो गया हो।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी समय, प्राधिकरण द्वारा बनाये गये किसी भी विनियम को पूर्णतः या भागतः निरसित या उपान्तरित कर सकेगी परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाई करने से पूर्व राज्य सरकार प्राधिकरण को वे आधार संसूचित करेगी जिन पर ऐसा किया जाना वह प्रस्तावित करती है, प्राधिकरण के

लिए इस प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बतलाने के लिए युक्तियुक्त कालावधि नियत करेगी, और प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(4) किसी विनियम का निरसन या उपान्तरण, यदि उसमें कोई तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गयी है तो, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा और ऐसी तारीख के पूर्व की गयी या लोपित की गयी या होने दी गयी कोई बात उससे प्रभावित नहीं होगी।

33. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

34. प्राधिकरण का विघटन.- (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि वह प्रयोजन, जिसके लिए इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी, सारवान् रूप से पूरा किया जा चुका है जिसके कारण राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का अस्तित्व में बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहां राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि प्राधिकरण ऐसी तारीख से विघटित हो जायेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गयी है और प्राधिकरण तदनुसार विघटित हुआ समझा जायेगा।

(2) उक्त तारीख से -

(क) समस्त आस्तियां, सम्पत्तियां, निधियां और बकाया जो प्राधिकरण में निहित हों या उसके द्वारा वसूलीय हों, राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा वसूलीय होंगी;

- (ख) समस्त देयताएं, जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी; और
- (ग) ऐसा कोई कृत्य जो प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः निष्पादित नहीं किया गया है राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किया जायेगा ।

35. अन्य विधियों का लागू होना.- (1) इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राजस्थान विधि में इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत किसी बात के होते हुए भी या किसी न्यायालय या प्राधिकारी का कोई प्रतिकूल निर्णय या विनिश्चय होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

(2) संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि का कोई पट्टा, अनुज्ञप्ति या किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली कोई लिखत या उसमें कोई हक, उस सीमा तक उपांतरित हो जायेगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा:

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात किसी अभिधारी को, उसके संविदात्मक अधिकारों से, उस सीमा तक के सिवाय जहां तक कि ऐसे अधिकार इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, वंचित नहीं करेगी।

36. धार्मिक अधिकारों की व्यावृत्ति.- इस अधिनियम की कोई भी बात धार्मिक महत्व रखने वाली किसी झील के संबंध में समाज के किसी वर्ग के किन्हीं भी धार्मिक अधिकारों को न तो निर्बन्धित करेगी और न ही उसका ऐसा अर्थ लगाया जायेगा कि वह ऐसे किन्हीं अधिकारों को निर्बन्धित करती है।

37. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

Notification

Jaipur, March 27, 2015

No. F. 2 (16) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in Rajasthan Gazette of the Following translation in English language of Rajasthan Jheel (Sanrakshan aur Vikas) Pradhikaran Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 5):-

(Authorized English Translation)

**THE RAJASTHAN LAKES (PROTECTION AND
DEVELOPMENT) AUTHORITY ACT, 2015**

(Act No. 5 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 27th day of March, 2015]

An

Act

to provide for development and protection of the lakes in the State of Rajasthan, for constitution of a lake development authority for that purposes and the matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 25th January, 2015.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (i) "Authority" means the Rajasthan Lakes Development Authority constituted under section 8;

- (ii) “boundary”, in relation to a lake, means the lake boundary declared under section 4;
- (iii) “Chairperson” means the Chairperson of the Authority;
- (iv) “Chief Executive Officer” means the Chief Executive Officer of the Authority appointed as such by the State Government under section 10;
- (v) “committee” means a committee constituted under section 9;
- (vi) “construction” means any erection of a structure or a building including any addition or extension thereto, either vertically or horizontally and includes reconstruction, repair or renovation of an existing structure or building and excavation or filling the lake or protected area;
- (vii) “development”, in relation to a lake, includes ecological management, conservation, restoration and regeneration of a lake;
- (viii) “flow area” means the area through which streams or feeders flow to the lake for its recharge;
- (ix) “Fund” means the Rajasthan Lakes Development Authority Fund constituted under section 13;
- (x) “lake” means an inland water body, whether it is natural or manmade, whether it contains water or not and whether it has been recorded as such in any revenue or other official record or not, which has had, at any time during fifty years preceding the commencement of this Act, a total submerged area of not less than three hectares in case of water body having socio-cultural, heritage or religious importance and not less than ten hectares in other cases;
- (xi) “Local Authority” means the Ajmer Development Authority constituted under the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013), the Jaipur Development Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act

- No. 25 of 1982), the Jodhpur Development Authority constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), an Urban Improvement Trust constituted under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), or a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), a Panchayati Raj Institution constituted under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) or any other body or authority declared by the State Government by notification in the Official Gazette, to be a local authority for the purposes of this Act;
- (xii) “member” means the member of the Authority and includes Chairperson and Vice-Chairperson of the Authority;
- (xiii) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (xiv) “protected area” means the protected area declared under section 4;
- (xv) “regulations” means the regulations made by the Authority under this Act;
- (xvi) “rules” means the rules made by the State Government under this Act;
- (xvii) “State” means the State of Rajasthan;
- (xviii) “town planning authority” means the Ajmer Development Authority constituted under the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013), the Jaipur Development Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the Jodhpur Development Authority constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), an Urban Improvement Trust constituted under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), or a

Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), a Panchayati Raj Institution constituted under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) or any other body or authority declared by the State Government by notification in the Official Gazette, to be a local authority for the purposes of this Act;

(xix) “Vice-Chairperson” means the Vice-Chairperson of the Authority.

CHAPTER-II

Lakes Boundaries and Protected Area

3. Lakes to vest in the State Government.- (1) Notwithstanding anything contained in any law, instrument or order, protection and development of all lakes within the State, except private properties situated in such lakes, shall, with effect from the commencement of this Act, vest in the State Government and no person shall undertake any activity, whatsoever, within the boundaries of a lake or use or draw any produce or water from a lake otherwise than in accordance with the permission granted by the Authority in the prescribed manner.

(2) The Authority shall not grant any permission under subsection (1) unless it is satisfied that such permission will not have adverse impact on protection and development of the lake.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, the State Government may, by order in writing, allow withdrawal and use of the water of a lake for the purposes for which it was withdrawn and used immediately before the commencement of this Act to the extent such withdrawal does not affect adversely the protection and development of the lake.

4. Declaration of lake boundaries and protected area.-

(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, either *suo-motu* on the basis of information available with it or on the recommendation of the Authority, declare and specify-

(i) the boundaries of a lake; and

(ii) a geographical area around a lake to be the protected area.

(2) Any person aggrieved by the notification under sub-section (1) may, within two months from the date of publication of such notification in the Official Gazette, file his objections or suggestions in the prescribed manner before the State Government.

(3) On the expiry of the period specified in sub-section (2), the State Government may, after considering the objections and suggestions received by it under sub-section (2), either withdraw or modify the notification issued under sub-section (1) or reject the objections or suggestions, as the case may be, and the decision of the State Government shall be final.

(4) The notification issued under this section shall prevail notwithstanding any other Rajasthan law for the time being in force.

5. Regulation of activities in the protected area.- (1)

Every town planning authority shall consult the Authority before preparing spatial or development plan of any area comprising a lake and no spatial or development plan in respect of an area comprising a lake shall be approved or enforced without the prior approval of the Authority.

(2) No construction shall be undertaken in the protected area without obtaining prior permission of the Authority in the prescribed manner.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2), the State Government may, by notification in the Official Gazette, either *suo-motu* on the basis of information available with it or on the recommendation of the Authority, specify such other activities in the protected area as it considers expedient for the protection and development of the lake, which shall be prohibited or be undertaken only after obtaining prior approval of the Authority, in the prescribed manner.

(4) The Authority shall not grant any permission under sub-sections (2) or (3) if it is satisfied that such permission is likely to have adverse impact on protection and development of the lake.

6. Protection and development of lakes.- (1) Subject to any Central law relating to forest or environment, and policies or guidelines including any guidelines for National Plan on Conservation of Aquatic Ecosystem issued in this regard by the Central Government from time to time, the Authority shall undertake protection and development of the lakes and for this purpose, the Authority shall carry out following functions, namely:-

- (a) to carry out survey and study of lakes and prepare, maintain and publish, in the prescribed manner, the record of lakes including their boundaries, flow area and such other matters as are deemed necessary for protection and development of the lakes;
- (b) to prepare and recommend to the State Government plans, projects or schemes for protection or development of lakes;
- (c) to implement such plans, projects or schemes of protection or development of lakes as may be approved by the State Government;
- (d) to implement projects and raising financial resources from public and private source including Corporate Social Responsibility fund (CSR);
- (e) to recommend to the State Government lake boundaries and protected area;
- (f) to prevent and stop unauthorised activities within lake boundaries or the protected area;
- (g) to prevent, stop and remove unauthorised construction in the protected area.

(2) The Authority may, if it considers expedient in the interest of protection or development of a lake so to do, remove any building, structure or any other object of obstruction within the protected area or the flow area of a lake:

Provided that no building, structure or any other object of obstruction which is a private property shall be removed unless-

- (i) prior approval of the State Government has been obtained;

- (ii) the owner and occupier, if any, of the property has been given a reasonable opportunity of hearing;
- (iii) the owner of the property has been paid compensation for the damages to be sustained by him due to such removal.

(3) While determining the amount of compensation under this section, the Authority shall follow the principles of determination of compensation laid down by any law for the time being in force providing for compulsory acquisition of similar property.

(4) If any person entitled to compensation under this section disputes sufficiency of the amount of compensation, he may file an appeal to the District Judge having territorial jurisdiction over the area in which the property is situated, within ninety days from the date of order of the Authority and the decision of District Judge shall be final.

7. Tourism and allied activities.- The Authority may with the prior permission of the State Government undertake or permit any agency or department of the State to carry on activities for beautification of the protected area as long as Authority is satisfied that such activity shall not, in any manner, have any adverse effect upon the protected area.

CHAPTER-III

Establishment and Constitution of the Authority, etc.

8. Constitution of the Authority.- (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government shall constitute an authority to be known as the Rajasthan Lakes Development Authority to exercise powers and discharge functions of the Authority under this Act or the rules or regulations made thereunder.

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and

immovable, and to contract, and may sue or be sued by its corporate name.

(3) The Authority shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson or such other members, not less than seven and not more than twenty one, as the State Government may determine.

(4) The members of the Authority shall be nominated by the State Government and a member, other than *ex-officio* member, shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office or during the pleasure of the State Government, whichever is earlier:

Provided that while nominating members to the Authority, the State Government shall give adequate representation to the following, namely:-

- (i) Finance, Local Self Government, Panchayati Raj, Revenue and Urban Development and Housing department of the State Government;
- (ii) Department of the State Government responsible for Environment, Forest, Fisheries, Tourism, Water Resources and Art and Culture;
- (iii) experts in the field of environment, ecology, geology, hydrology, hydro-geology, limnology or lake conservation.

(5) The terms and conditions of service, including remuneration and allowances, of members, other than *ex-officio* members, shall be such as may be prescribed.

(6) A member other than *ex-officio* member may resign his office by a notice in writing submitted thirty days in advance to the Chairperson in case of other members and to the State Government in case of the Chairperson.

(7) The headquarters of the Authority shall be at Jaipur or at such other place as the State Government may notify.

(8) The Authority shall meet at least once in six months; however, the Chairperson shall have power to call a meeting of the Authority at any time.

(9) The Authority shall follow such rules of procedure while transacting business at its meetings as may be prescribed.

(10) In absence of the Chairperson, the meeting of the Authority shall be presided over by the Vice-Chairperson and in case of the absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, meeting of the Authority shall be presided over by the member nominated for the purpose by the Chairperson.

(11) The Authority shall be nodal authority for purpose of the National Plan on Conservation of Aquatic Ecosystem (NPCA).

9. Power to constitute committees.- The Authority may, for carrying out its functions under this Act, constitute such committees from amongst its members or otherwise as it thinks fit and delegate to such committees such of its powers under this Act, with or without condition, as it may think fit:

Provided that the decision of a committee shall require approval of the Authority before its implementation.

10. Staff of the Authority.- (1) There shall be appointed by the State Government an officer not below the rank of a Secretary to the Government to be the Chief Executive Officer of the Authority.

(2) The Authority may, with the prior approval of the State Government, create such number and category of posts of officers and other employees in the Authority as it considers necessary to carry out its functions under this Act and make appointment thereto.

(3) The salary and allowances and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Authority shall be such as may be determined by the Authority by regulations.

(4) The Authority may, with the prior approval of the State Government, also engage such experts and technical persons on contract basis as it considers necessary to carry out its functions under this Act.

(5) The Chief Executive Officer and other officers and employees of the Authority shall be subject to the control and supervision of the Chairperson and shall exercise such powers and discharge such functions as may be conferred on, or assigned to, them by the Authority from time to time.

11. Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Authority.- No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of-

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as member of the Authority; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

12. Authentication of orders, etc.- All proceedings of the Authority shall be authenticated by the signature of the Chairperson or of any member authorised by the Chairperson in this behalf and all other orders and instruments of the Authority shall be authenticated by an officer of the Authority authorised by regulations.

CHAPTER-IV

Finance, Budget and Accounts

13. Fund of the Authority.- (1) The State Government shall constitute a fund to be known as the Rajasthan Lakes Development Authority Fund to which shall be credited all moneys received by the Authority, including -

- (a) such amount of contribution to be made by the State Government yearly or in such instalments in each year as it may determine in accordance with the projects or schemes included in the State Plan and under appropriation duly made in this behalf;
- (b) such other moneys as may be paid to the Authority by the State Government, Central Government or

any other authority or agency by way of grants, loans, advances or otherwise;

(c) all moneys borrowed by the Authority including loans to be raised from the financing institutions;

(d) all moneys received by the Authority by way of rents and profits or in any other manner or from any other source ; and

(e) all donations received by the Authority.

(2) The Authority may keep in saving or deposit account with any Scheduled Bank or any Co-operative or other Bank approved by the State Government in this behalf, such sum of money out of its Fund as may be determined by the Authority and any money in excess of the said sum shall be invested in such manner as may be determined by regulations.

(3) Such accounts shall be operated by such officer of the Authority as may be authorised by it by regulations.

14. Application of Fund etc.- All properties, fund and other assets vesting in the Authority shall be held and applied by it for the purposes and subject to the provisions of this Act and not otherwise.

15. Power of the Authority to borrow.- The Authority may, with the previous approval of the State Government, borrow money for carrying out the purpose of this Act, at such rates of interest and on such conditions as the State Government may determine at the time money is borrowed.

16. Accounts and audit.- (1) The Authority shall keep accounts in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Authority shall be subject to audit by the Director, Local Fund Audit Department in accordance with the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954).

(3) The Authority shall pay from the Fund such charges for the audit as may be prescribed.

17. Budget.- (1) The Authority shall prepare, every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual budget

estimate in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditures of the Authority and submit it for the approval of the State Government.

(2) The Authority shall keep its expenditures strictly within the budget estimates as approved by the State Government.

18. Annual Report.- (1) The Authority shall prepare at the end of each financial year, a report of its activities during the previous year and submit it to the State Government before the 30th day of September of the current year.

(2) The State Government shall cause such annual report including the statement of accounts to be laid before the House of the State Legislature.

CHAPTER-V

Miscellaneous

19. Power of the Authority to enter into agreement.- The Authority may, for the purposes of implementing any plan, project or scheme under this Act, enter into agreement with any person or entity on such terms and conditions as it may determine with the approval of the State Government.

20. Powers of the Authority to give directions.- Notwithstanding anything contained in any Rajasthan law for the time being in force, the Authority may give such directions to any department of the State Government or any local authority or any officer or employee thereof, as may be necessary for carrying out the purposes of this Act and such directions shall be binding on such department, authority or officer, as the case may be.

21. Power to remove encroachment.- (1) The Authority may require any person, who has encroached upon any area within the boundaries of a lake or within the protected area, by notice in writing to remove the encroachment within the time specified in the notice, being a time not less than fifteen days, and restore the area in its original condition.

(2) If the person on whom a notice under sub-section (1) has been served does not remove the encroachment or does remove the encroachment but does not restore the area in its original condition to the satisfaction of the Authority within the time specified in the notice, the Authority may remove the encroachment and restore the area to its original condition at the cost of such person.

(3) The cost incurred by the Authority under sub-section (2) shall, on the certificate of the Chief Executive Officer of the Authority, be recoverable as an arrear of land revenue.

22. Power of entry.- It shall be lawful for a member or officer of the Authority or any other person authorised by the Authority in this behalf to enter into or upon any land, building or other premises, between sunrise and sunset, with such assistants or workmen as he may deem necessary, for the purpose of carrying out any of the functions of the Authority under this Act or any rules or regulations made thereunder:

Provided that no land, building or other premises which may be occupied at the time shall be entered, except with the consent of the occupier thereof, without twenty-four hours written notice having been given to the occupier:

Provided further that, in the case of any building or other premises used as human dwellings, due regard shall be had to the social and religious customs of the occupiers.

23. Power of Authority to call for information.- The Authority shall have power to call for any information from any department of the State Government or any local authority or any other person which is required by it in the exercise of its powers and the performance of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder, and such department, authority or person shall be bound to furnish such information.

24. Control by the State Government.- (1) The Authority shall exercise its powers and perform its duties under this Act or rules or regulations made thereunder, subject to any policy and

guidelines of the State Government in respect of the protection and development of the lakes.

(2) The Authority shall be bound to comply with such directions of the State Government as may be issued by it for carrying out the purposes of this Act.

(3) If, in connection with the exercise of the powers and the performance of the functions of the Authority under this Act or rules or regulations made thereunder, any dispute arises between the Authority and any department of the State Government or any local authority, the matter shall be referred to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

25. Delegation of powers.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate to any officer subordinate to it all or any powers conferred on it by this Act except the power to make rules.

(2) The Authority may, by order in writing, delegate any of its powers and functions under this Act or rules or regulations made thereunder, except the power to make regulations, to any officer of the State Government, any local authority or any officer subordinate to it, subject to such conditions or restrictions as it may think fit:

Provided that the delegation of powers and functions under this sub-section to any officer of the State Government or local authority shall be made with the consent of the State Government or such authority, as the case may be.

26. Transitory provisions.- (1) Until the Authority is constituted under this Act the powers and functions conferred and assigned to the Authority under this Act may be exercised by the State Government or any other authority or officer authorised by the State Government in this behalf.

(2) Until the rules or regulations are framed under the provisions of this Act the State Government may provide for the matters, required by this Act to be provided by rules or regulations, by issuing orders and guidelines.

27. Offence.- Whoever contravenes any provision of this Act or rules or regulations made thereunder shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees.

28. Offence by companies.- (1) If an offence under this Act is alleged to have been committed by a company, every person who, at the time of commission of the offence was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the commission of offence took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such commission.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of , or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

- (a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

29. Officer and other employees of the Authority to be public servant.- The members, and every officer and employee, of the Authority shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

30. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be maintainable against the Authority, any member or officer or employee thereof or any person acting under the direction of the Authority in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or the rules or regulations made thereunder.

31. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

32. Power to make regulations.- (1) Subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority may make regulations for all or any of the matters required by this Act to be provided by regulations and generally for all other matters for which provision is, in the opinion of the Authority, necessary for the exercise of its powers and the discharge of its functions under this Act or the rules made thereunder.

(2) No regulation made by the Authority under sub-section (1) shall take effect unless it is published in the Official Gazette.

(3) The State Government may, at any time by notification in the Official Gazette, repeal wholly or in part or modify any regulation made by the Authority provided that, before taking any action under this sub-section, the State Government shall

communicate to the Authority the grounds on which it proposes to do so, fix a reasonable period for the Authority to show cause against the proposal and consider the explanation and objections, if any, of the Authority.

(4) The repeal or modification of any regulation shall take effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette, if no date is therein specified, and shall not affect anything done or omitted or suffered before such date.

33. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

34. Dissolution of the Authority.- (1) Where the State Government is satisfied that the purpose for which the Authority was established under this Act have been substantially achieved so as to render the continued existence of the Authority in the opinion of the State Government unnecessary, it may, by notification in the Official Gazette, declare that the Authority shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification; and the Authority shall be deemed to be dissolved accordingly.

(2) From the said date -

- (a) all assets, properties, funds and dues which are vested in, or realisable by the Authority shall vest in, or be realisable by, the State Government;
- (b) all liabilities which are enforceable against the Authority shall be enforceable against the State Government; and

(c) any function which has not been fully carried out by the Authority shall be carried out by the State Government.

35. Application of other laws.- (1) The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith in any other Rajasthan law for the time being in force or any judgment or decision of a court or authority to the contrary.

(2) Any lease, licence or any instrument having effect by virtue of any law or any title to land forming part of the protected area shall stand *pro tanto* modified and shall have no effect:

Provided that nothing in this Act shall deprive any tenant of contractual rights and except to that extent that such rights are not inconsistent with the provisions of this Act.

36. Saving of religious rights.- Nothing in this Act shall restrict or be construed as restricting any religious rights of any section of the society in respect of a lake having religious importance.

37. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Lakes (Protection and development) Authority Ordinance, 2015 (Ordinance No. 1 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

दीपक माहेश्वरी,
Principal Secretary to the Government.